प्रेस नोट 25.09.2020

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के नेतृत्व/निर्देशन में संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.09.2020 को–

मुख्तार अंसारी गिरोह को लाभ पहुंचाने वाले प्रकाश कन्स्ट्रक्शन की मालकिन सहित कई पर मऊ पुलिस का शिकंजा, अभियोग पंजीकृत–

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मुख्तार अंसारी गिरोह को लाभ पहुंचाने वाले प्रकाश कन्स्ट्रक्शन की मालकिन श्रीमती किरन राय पत्नी श्री प्रकाश राय निवासी 230 निजामुद्दीनपुरा थाना कोतवाली मऊ सहित अन्य लोगों के विरुद्ध मु0अ0सं0 516/20 धारा 419,420,467,468,471 भादवि0 पंजीकृत किया गया है।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त मे0 प्रकाश कन्स्ट्रक्शन की मालकिन किरन राय पत्नी प्रकाश चन्द्र राय द्वारा कूटरचना कर पूर्व में बन्द हुई प्रकाश कन्स्ट्रक्शन फर्म से सम्बन्धित अभिलेखों को लगाकर बड़े–बड़े टेण्डर प्राप्त करना एवं मुख्तार अंसारी गिरोह को लाभ पहुंचाने सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आया है।

माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी व उनके दो सगे साले सहित 05 के विरुद्ध अवैध कब्जा करने के मामले में कार्यवाही करते हुये गैर जमानती वारंट जारी–

थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ पर दिनांक 09–07–2020 को पंजीकृत मु0अ0सं0 129/2020 धारा 419,420,433,434,447,467,468,471 भादवि व 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम बनाम विकास कान्ट्रक्शन रजदेपुर देहाती रौजा गाजीपुर पार्टनर आतिफ में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी व उनके दो सगे साले सहित 05 नाम प्रकाश में आये, जिनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 25–09–2020 को माननीय सीजेएम महोदय के कार्यालय से एनबीडब्लू प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

1–आफशा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी निवासी तरंजी मोहल्ला थाना मोहम्मदाबाद युसुफपुर जनपद गाजीपुर।

2–आतिफ उर्फ सरजील रजा पुत्र जमशेद रजा निवासी सैयद बाड़ा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर।

3–अनवर शहजाद पुत्र जमशेद रजा निवासी सैयद बाड़ा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर।

4–जाकिर उर्फ विक्की पुत्र सफाउत हुसैन निवासी मुस्तफाबाद थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर।

5–रवि नरायन सिंह पुत्र स्व0 चन्द्रदेव नरायन सिंह निवासी डोमनपुरा बालापुर थाना मोहम्मदाबाद युसुफपुर जनपद गाजीपुर।

माफिया मुख्तार अंसारी, जो रुपनगर मोहाली (पंजाब) जेल में निरुद्ध द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुये वारंट बी अर्न्तगत धारा 267 सीआरपीसी जारी–

थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ पर दिनांक 05–01–2020 को पंजीकृत मु0अ0सं0 04/2020 धारा 419,420,467,468,471,120बी भादवि व 30 शस्त्र अधि0 बनाम मुख्तार अंसारी सहित 06 अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए को माननीय सीजेएम महोदय के कार्यालय से वारंट–बी प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

मुख्तार अंसारी गिरोह को लाभ पहुंचाने वाले व मन्ना सिंह हत्या मे सह अभियुक्त रहे संतोष सिंह सहित 04 पर अभियोग पंजीकृत–

निम्न अभियुक्तगणों द्वारा ठेकेदारों को डरा–धमकाकर टेंडर डालने से रोकना तथा जान से मारने की धमकी देना एवं फर्मों से 10 प्रतिशत अवैध धन की वसूली करके मुख्तार अंसारी को लाभ पहुंचाने की बात प्रकाश में आयी है जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 515/20 धारा 384,420,506,120बी भादवि पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्तगण–

1. संतोष कुमार सिंह पुत्र स्व0 लालचंद निवासी बहरीपुर पो0 डुमरांव थाना सरायलखंसी।(वर्ष 2009 में हुई मन्ना सिंह की हत्या में अभियुक्त भी है)

2. अनूप कुमार सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी सहादतपुरा थाना कोतवाली मऊ।

3. राजीव कुमार सिंह पुत्र बांके बिहारी निवासी बढुआगोदाम थाना सरायलखंसी।

4. अशोक राय पुत्र स्व0 उमाशंकर राय निवासी निजामुद्दीनपुरा थाना कोतवाली।

चोरी की समान के साथ एक गिरफ्तार–

आज दिनांक 25.09.20 को थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान इन्दारा के पास से मो0 आमिर पुत्र अब्दुल रहमान निवासी करीमाबाद बाबुपुर थाना कोपागंज के कब्जे से चोरी की एक अटैची तथा 570 रूपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 518/20 धारा 379,457,411 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया। उक्त समान चोरी की सूचना वादी संजय कुमार निवासी बाबुपुर द्वारा थाना स्थानीय को दिया गया था।

शांति भंग की आशंका में 12 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 25.09.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान शांति भंग की आशंका में थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा मनोज, रामजीत निवासीगण जमीर चौराडीह थाना घोसी, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा कन्हैया निवासी सहरोज, गुड्डू, गतिराम निवासीगण चकसेखानी सेखपुर, इश्तेयाक, मुस्ताक निवासीगण चन्दनपुरा थाना कोपागंज, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा दिनेश, उमेश, सूर्यबली, चन्द्रहास, कवलदीप निवासीगण ठकुरमनपुर थाना सरायलखंसी मऊ को अन्तर्गत धार 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

आज दिनांक 25.09.2020 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले द्वारा पुलिस लाईन मऊ का निरीक्षण किया गया। इस दौरान शस्त्रागार एवं जी0पी0 स्टोर तथा पुलिस लाईन परिसर में घूम–फिरकर परिसर, बैरिकों, भोजनालय, शौचालय/स्नानागार, आवासीय परिसर आदि का गहन निरीक्षण किया गया एवं पायी गयी कमियों तथा साफ–सफाई आदि को लेकर जल्द से जल्द ठीक कराने हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया।